राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3030/2024

जगदीश प्रसाद मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, विकास खण्ड – शासन सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झालावाड़ (राज.)।
4. श्री आदेश कुमार मीणा विकास अधिकारी प.स. रायपुर, जिला पाली मार्फत संयुक्त शासन सचिव द्वितीय मुख्यालय, पंचायती राज विभाग, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.10.2024
आदेश की दिनांक : 22.10.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रदीप माथुर, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग ओर से : श्री आर.के.निगम, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति, अकलेरा, जिला झालावाड़ में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 02.10.2024 के द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से जिला परिषद, सवाई माधोपुर किया गया है। उनका कथन है कि आदेश दिनांक 31.07.2023 के द्वारा

अपीलार्थी को पंचायत समिति, केशोरायपाटन, बूंदी पदस्थापित किया गया था और आदेश दिनांक 07.10.2023 के द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित किया गया और लगभग 4 माह की अल्पावधि में ही अपीलार्थी को पुनः जिला परिषद, सवाई माधोपुर स्थानांतरित किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी को एक वर्ष में तीन बार अल्पावधि में स्थानान्तरित किया गया है, जो दुर्भावनापूर्ण एवं नियम विरूद्ध है। आलोच्य आदेश जारी करने से पूर्व प्रत्यर्थी विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय कार्यालय से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई। जबकि राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण आदि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थान स्थान से 300 कि.मी. दूर किया गया है और निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजित करने के आशय से अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 02.10.2024 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथास्थान अकलेरा, जिला झालावाड़ में कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणो से राजहित में किया गया है और विभागीय पत्रावली के द्वारा अनुमति ली गई है। अपीलार्थी राज्य सेवक है और विभाग अपने लोक सेवक को कब और कहां स्थानांतरित/पदस्थापित करता है, यह नियोक्ता का अधिकार है। अपीलार्थी को रिक्त स्थान पर पदस्थापित किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी के संबंध में जारी किया गया स्थानान्तरण आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति, अकलेरा, जिला झालावाड़ में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 02.10.2024 के द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से जिला परिषद, सवाई माधोपुर किया गया है। जहां तक माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में

अनुमोदन दिये बिना स्थानान्तरण किये जाने का प्रश्न है, प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अनुलग्नक आर–1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभागीय नोटशीट माननीय मुख्यमंत्री महोदय कार्यालय तक प्रेषित की गई है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हस्ताक्षर भी हैं। इसलिये हम अपीलार्थी के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि सक्षम स्तर से अनुमोदन के बगैर अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

जहाँ तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजन (accommodate) करने का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 552**) में समंजन (accommodate) के संदर्भ में यह अवधारित किया है कि :–

> *"If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the Court merely because the transfer order were passed on the request of the employee concerned."*

अपीलार्थी ने अपील में स्वयं का 300 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है, परन्तु इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च

न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."*

अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष